न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 02/2012/रेफरेन्स

1. बुद्वराम पुत्र भगवानाराम
2. सम्पतलाल पुत्र छोटू

समस्त जाति नायक निवासीगण रामगढ़ तहसील फतेहपुर जिला सीकर

प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. रामोवतार
3. गोविन्दप्रसाद
4. रामगोपाल
5. पवन कुमार
6. सुर्यप्रकाश

} पुत्रगण बजरंगलाल

7. सत्यभामा
8. गायत्री
9. सन्तोष
10. मिनाक्षी

} पुत्रियां बजरंगलाल

11. रतनी बेवा बजरंगलाल

12. देवेश कुमार
13. विवेक कुमार

} पुत्रगण रामप्रकाश

14. सुलोचना पत्नि श्री रामप्रकाश
15. बनवारीलाल पुत्र गीगाराज (फौत)

15/1 अर्मिला
15/2 प्रमिला

} पुत्रियां बनवारीलाल

15/3 चन्द्रप्रकाश
15/4 संतोष कुमार

} पुत्रगण बनवारीलाल

16. मदनलाल(फौत)

16/1 जयप्रकाश
16/2 महेश
16/3 नटवर

} पुत्रगण मदनलाल

16/4 बिमला देवी
16/5 उमा देवी
16/6 दिव्या
16/7 मंजू

} पुत्रियां मदनलाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण रामगढ तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

17. माया देवी पत्नी श्री मदन मोहन महर्षि जाति ब्राहमण निवासी रतननगर जिला चुरू
18. सलाउदीन पुत्र हाजी कुतुबदीन मरिद (फौत)

18/1 गुलशन पत्नी सलाउदीन
18/2 आबिदा पुत्री सलाउदीन

19. गुलाम नमी
20. अब्दुल करीम
21. इस्माईल सलीम

} पुत्रगण हाजी कुतुबदीन मरिद

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण रामगढ़ तहसील फतेहपुर जिला सीकर
22. तहसीलदार फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर

अप्रार्थीगण

23. मांगीलाल
24. सेयीराम
25. विनोद
26. प्रकाश
} पुत्रगण भगवानाराम

27. धापा देवी पत्नी भगवानाराम
28. भानाराम पुत्र छोटू
समस्त जाति नायक निवासीगण रामगढ़ तहसील फतेहपुर जिला सीकर
29. मोहनलाल (मृत)
29/1 सावित्री पत्नी मोहनलाल
29/2 भंवरी पुत्री मोहनलाल
29/3 विनोद पुत्री मोहनलाल
29/4 विकम पुत्र मोहनलाल
29/5 मुकेश पुत्र मोहनलाल
29/6 सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल
29/7 सविता पुत्री मोहनलाल
समस्त जाति नायक निवासीगण वार्ड नं. 17, स्टेशन के पास, नायकों का मोहल्ला रामगढ़ शेखावाटी तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील प्रार्थी श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया
वकील अप्रार्थी श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा, श्री सज्जन सिंह

निर्णय

दिनांकः–10.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा रामगढ तहसील फतेहपुर जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 626 रकबा 9 बीघा खसरा नम्बर 650 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा अवस्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 23 से 27 के पूर्वज घीसा व अप्रार्थी संख्या 28 से 31 के पूर्वज व छोटू के खाते, कब्जे काश्त की कृषि भूमि रही है। घीसा व छोटू दोनो सगे भाई थे जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी बाई ऑपरेशन आफ ला प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 23 से 31 के पूर्वज घीसा व छोटू को प्राप्त हुई थी तथा जागीरदारी प्रथा के समय से ही उक्त भूमियों का घीसा पुत्र श्योजी नायक जागीरदार व काबिज खातेदार व काश्तकार रहा है जिसका स्पष्ट अंकन जमांबदी सम्वत 2011 से 2020 में रहा है व उक्त भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 23 से 31 के पूर्वजो के खुद काश्त की भूमियां रही है। वर्णित भूमियों में से खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा हाल 1.05 हैक्टर व खसरा नम्बर 626 रकबा 9 बीघा हाल 2.28 हैक्टर वाके रामगढ बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 के पूर्वज बजरंगलाल के व अप्रार्थी संख्या 15 व 16 के नाम नामान्तकरण संख्या 379 दिनांक 25.06.1962 को दिनांक 08.04.1962 के आदेश का हवाला देते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकित हो

गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 के पूर्वज व 15, 16 के नाम भरा गया नामान्तकरण संख्या 379 विधि के प्रावधानो के विपरीत व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से भरा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 के पूर्वज बजरंगलाल का देहान्त होने पर नामान्तकरण संख्या 2280 दिनांक 10.05.2010 विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 के नाम व अप्रार्थी संख्या 15 के द्वारा उक्त भूमियों में से अप्रार्थी संख्या 17 को बेचान करने पर नामान्तकरण संख्या 2281 दिनांक 10.05.2010 व अप्रार्थी संख्या 16 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 18 से 21 को बेचान करने पर नामान्तकरण संख्या 2289 वाके रामगढ तस्दीक किये गये है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 23 से 31 के पूर्वज घीसा व छोटू का देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थी स्व0 घीसा के पुत्र भगवाना का पुत्र है अप्रार्थी संख्या 23 से 26 प्रार्थी के भाई है अप्रार्थी संख्या 27 माता है व अप्रार्थी संख्या 23 से 31 छोटू के वारिसान है। अतः रेफरेन्स आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 626 व 625 वाके रामगढ तहसील फतेहपुर जिला सीकर के बाबत नामान्तकरण संख्या 379 दिनांक 25.06.1962 व नामान्तकरण संख्या 2280 दिनांक 10.05.2010 नामान्तकरण संख्या 2281 दिनांक 10.05.2010 नामान्तकरण संख्या 2289 दिनांक 27.08.2010 को निरस्त कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 23 से 27 व अप्रार्थी संख्या 28 से 31 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स किया जाना प्रार्थनीय है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण उपस्थित आये एवं जवाब आवेदन पेश किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 के मुताबिक ग्राम रामगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 625 रकबा 1.05 है0, खसरा नम्बर 626 रकबा 2.28 है0 की खातेदारी मदनलाल बजरंगलाल बनवारीलाल पि. गोगराज जाति ब्राहमण सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2011 के मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 626 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 650 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी घीसा वल्द श्योजी कौम नायक सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2013–2016 के मुताबिक खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 626 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 650 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी भू–धारक के कॉलम में घीसा वल्द श्योजी कौम नायक सा.देह व काश्तकार के कॉलम में खुदकाश्त के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। आराजी खसरा नम्बर 625 व 626 के बाबत नामान्तकरण संख्या 379 दिनांक 25.06.62 के द्वारा मदनलाल बजरंगलाल बनवारीलाल पि.गोगराज के नाम तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 625 व 626 की खातेदारी मदनलाल बजरंगलाल बनवारीलाल पि. जोगराज ब्राहमण सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। वादग्रस्त आराजियात के बाबत नामान्तकरण संख्या 2280 मुताबिक खातेदार बजरंगलाल व उसका पुत्र रामप्रकाश फौत होने पर विरासत के आधार पर ओमप्रकाश, रामावतार, गोविन्दप्रसाद, रामगोपाल, पवनकुमार, सुर्यप्रकाश पि. बजरंगलाल हि0 1/6 सत्यभामा गायत्री संतोष मिनाक्षी पुत्रियां बजरंगलाल हि0 1/9 रतनी बेवा बजरंगलाल हि0 1/36 देवेश कुमार विकेश कुमार पि0 रामप्रकाश सुलोचना बेवा रामप्रकाश हि0 1/36 हि.ब. बनवारीलाल मदनलाल बदस्तुर हि0 2/3 बदस्तुर तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 2281 मुताबिक विक्रय लेख के बनवारीलाल पुत्र गीगराज जाति ब्राहमण सा.देह हि0 1/3 के स्थान पर मायादेवी पत्नी मदन मोहन महर्षि जाति ब्राहमण सा. रतननगर जिला चुरू हि0 1/3 शेष बदस्तुर के नाम तस्दीक कर दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। अनावेदक संख्या 21 ईस्माईल ने जवाब आवेदन पेश कर अंकित किया है कि "विवादित आराजियात

खसरा नम्बर 625 व 626 तन रामगढ़ शेखावाटी का घीसा पुत्र श्योजी जाति नायक खातेदार काश्तकार था। उक्त घीसा एक अन्य पिछड़ी जाति समाज का सदस्य था। वादग्रस्त आराजियात से छोटू का कोई सम्बंध नहीं था और न उसका कोई हिस्सा कब्जा व खातेदारी थी बल्कि ये आराजियात घीसा पुत्र श्योजी की स्वयं के खातेदारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजियात में से भूमि खसरा नम्बर 625 व 626 को खातेदार स्व0 घीसा पुत्र श्योजी जाति नायक ने अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 14 के पूर्वज बजरंगलाल व अनावेदकगण संख्या 15 व 16 बनवारीलाल मदनलाल को दिनांक 24.03.62 को कुल विक्रय मूल्य प्राप्त कर व कब्जा क्रेतागण बजरंगलाल बनवारीलाल मदनलाल का करवाकर उनके हक में विक्रय पत्र करवाकर उप पंजीयक रामगढ़ से पंजीबद्व करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण के हक में नामान्तकरण संख्या 379 दिनांक 25.06.1962 स्वीकार किया गया। दिनांक 26.09.1979 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मदनलाल द्वारा अपना 1/3 सम्पूर्ण हिस्सा खसरा नम्बर 626 का 1/3 सम्पूर्ण हिस्सा सलाउदीन गुलाम नबी अब्दुल करीम इस्माईल सलीम पुत्रगण हाजी कुतुबुदीन को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया। विवादित आराजियात के सम्बंध में पूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर सीकर में रेफरेन्स की कार्यवाही चली थी। जिसका मुकदमा नम्बर 50/70 है। न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने विवादित आराजियात के पूर्व खातेदार घीसा पुत्र श्योजी जाति नायक को अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में मानकर दिनांक 26.03.1971 को गैरसायलान के विरूद्व जारी किये गये नोटिस को विड्रा करते हुए कार्यवाही रेफरेन्स ड्रोप की थी। न्यायालय जिला कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 26.03.1971 रेसज्यूडिकेट की तारीफ में आता है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन खारिज किया जाकर कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।" अनावेदक संख्या 17 मायादेवी व बनवारीलाल पुत्र गोगराज शर्मा द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन का अवलोकन करने पर उक्त जवाब आवेदन में भी उपरोक्त तथ्य अंकित किये गये है। जवाब आवेदन के समर्थन में सलंग्न दस्तावेजात में विक्रय पत्र दिनांक 24.03.62 की अप्रमाणित प्रति पेश की गई है एवं जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.71 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है। जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 26.03.71 को पारित किये गये आदेश में अंकित किया गया है कि "पूर्व का रिकार्डेड खातेदार जाति से नायक है। नायक जाति अन्य पिछड़ी जाति में आती है। यह खातेदारी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में नहीं थी न उनके खाते से तब्दील हुई है। पूर्व का रेकार्डेड खातेदार पिछड़ी जाति का सदस्य है जिसकी भूमि की खातेदारी किसी भी व्यक्ति के नाम हो सकती है। यह खातेदारी बेंचान के आधार पर सन् 1962 में हुई है जो अपने स्थान पर कायम है। अगर पूर्व के रेकार्डेड खातेदार को कोई आपत्ति इस तब्दीली खातेदारों से हो तो उसे सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए। गैरसायल को दिया गया नोटिस विड्रा किये जाने योग्य है। उक्त नोटिस विड्रा किया जाता है।"

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस, जवाब आवेदन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2011 के मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 626 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 650 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी घीसा वल्द श्योजी कौम नायक सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2013—2016 के मुताबिक खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 626 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 650 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी भू—धारक के कॉलम में घीसा वल्द श्योजी कौम नायक सा.देह व काश्तकार के कॉलम में खुदकाश्त के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। आराजी खसरा नम्बर 625 व 626 के बाबत नामान्तकरण संख्या 379 दिनांक 25.06.62 के द्वारा मदनलाल बजरंगलाल बनवारीलाल पि.गोगराज के नाम तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2021—2024 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 625 व 626

की खातेदारी मदनलाल बजरंगलाल बनवारीलाल पि. जोगराज ब्राहमण सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित कर दी गई। वादग्रस्त आराजियात के बाबत पूर्व में जिला कलक्टर सीकर के न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.71 को नोटिस विड्रा किये जाने के रूप में निर्णय पारित किया है। न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित उक्त निर्णय के सम्बंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन में किसी प्रकार का कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है, बल्कि उन तथ्यों को छिपाया गया है। वादग्रस्त आराजियात के बाबत नामान्तकरण संख्या 379 दिनांक 25.06.1962 के विरूद्व रेफरेन्स आवेदन दिनांक 10.02.2012 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है। नामान्तकरण दिनांक 25.06.1962 के विरूद्व लगभग 50 वर्ष पश्चात् रेफरेन्स आवेदन पेश किया है। इतने लम्बे समय पश्चात् किये गये केवल मात्र रेफरेन्स आवेदन के माध्यम से विवादग्रस्त आराजियात के बाबत पारित आदेश को चुनौती दिया जाना संभव नहीं है। अतः रेफरेन्स आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। विवादग्रस्त आराजियात के बाबत प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय के समक्ष खातेदारी उद्घोषणा बाबत वाद/आवेदन पेश कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/2/20

(जयप्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर